

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

पद्मेश नन्दावत बनाम श्री मन्दी गिरी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 207/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती ~~पद्मेश नन्दावत एचयूएफकेटी~~
~~पद्मेश कुमार नन्दावत~~ विरुद्ध ~~श्री मन्दी गिरी~~
~~श्री मन्दी गिरी~~

निवासी- 10 ए कुम्भानगर चिम्पेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

डोहड़ी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 72 मी.
 74 मी. 0.6500

कुल कीता 02 कुल रकबा 0.7500 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम डोहड़ी (तह. चिम्पेडा) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 72 मी. 74 मी.
 0.6500, 0.1000

कुल कीता 02 रकबा 0.7500 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 7000 रूपये अक्षरे 5000 (सो ब्याट) प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(वीनू देबली)

सहायक क्लर्क एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)